भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3133

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डी.डी.सी.ए.)</u>

3133. श्री कीर्ति आजाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अंतर्गत दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डी.डी.सी.ए.) के लेखों की जांच/निरीक्षण का आदेश दिया है, यदि हां, तो रिपोर्ट किए गए उल्लंघन क्या हैं इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जांच/निरीक्षण रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों की अनुपालन नहीं करने के लिए डी.डी.सी.ए. के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए कंपनी पंजीयक (आरओसी) दिल्ली को निदेश दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी पंजीयक (आरओसी) दिल्ली द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) अब तक अभियोजित किए गए मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) का ब्यौरा क्या है और कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को कब तक अभियोजित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक जांच रिपोर्ट में डी.डी.सी.ए. में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, अनियमितताएं, भ्रष्टाचार उजागर हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गतिविधियों में बार-बार संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अधीन डीडीसीए के लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण का आदेश दिया था। निरीक्षण प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के साथ पठित धाराएं 36, 150, 166/210,

....2/-

209(1), 209(3)(ख), 211, लेखांकन मानक 5, 15, 18, 19, 22 और 29 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 217(3), 285, 299, 303, 309, 314 और 211(3क)/(3ग) का उल्लंघन दर्शाया गया है। ये सभी अपराध प्रशमनीय (कम्पाउन्डेबल) हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि 4 निदेशक कार्यशील (फंक्शनल) निदेशक थे जो कंपनी के दैनिक संचालन में सक्रिय रूप से संलग्न थे और कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा उनके दिनांक 29.08.2014 के आदेश में चूककर्ता अधिकारी के रूप में उल्लिखित थे। ये अधिकारी हैं श्री सुनील देव, श्री एस. पी. बंसल, श्री नरिन्दर बत्रा और श्री सी. के. खन्ना।

कंपनी और चूककर्ता अधिकारियों ने अपराधों के प्रशमन (कम्पाउन्डिंग) हेतु आवेदन किया था और इसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को अग्रेषित किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के साथ पठित धारा 227 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए डीडीसीए के सांविधिक लेखापरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन फाइल किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में भी सांविधिक लेखापरीक्षक के विरूद्ध शिकायत की गई थी।

(ग): कंपनी अधिनियम, 1956 में "चूककर्ता अधिकारी" की संकल्पना थी। अत:, उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) के उत्तर में यथाउल्लिखित अनुसार "चूककर्ता अधिकारियों" के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी।

(घ) और (ड.): मंत्रालय में और शिकायतें प्राप्त हुईं हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के तहत दिनांक 27.03.2015 को निरीक्षण का आदेश दिया गया है।

*****